

गेहूं छानन/अंडरसाइज निविदा फार्म

निविदा-दाता से सम्बंधित सूचना

1. फर्म का नाम
2. फर्म का प्रकार.....व्यापारी /आढ़त/ फ्लोरमिल/ अन्य
3. फर्म के मालिक का पूरा नाम व पता.....
4. ई-मेल पता
5. मोबाइल न० अतिरिक्त मोबाईल न०
6. स्थायी खाता न०/PAN न०(छायाप्रति संलग्न करें)
7. GST रजिस्ट्रेशन नं०(छायाप्रति संलग्न करें)
8. गेहूं छानन (अंडरसाइज) खरीद दर रु. प्रति कुंतल (अंको में)
9. गेहूं छानन (अंडरसाइज) खरीद दर रु. प्रति कुंतल (शब्दों में)

निविदा के साथ जमा किये जाने वाले धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट का विवरण

UTR/ Ref. न०दिनांक.....धनराशि रु.....

बैंक का नाम.....

मैपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... प्रोपराइटर /

पार्टनर / डायरेक्टर मैसर्स घोषणा

करता/करती हूँ, की उपरोक्त सूचना मेरे जानकारी के अनुसार सही है, और इसमें कोई भी तथ्य छुपाये नहीं गए है। यदि कुछ गलत पाया जाता है तो इसका जिम्मेदार मै स्वयं रहूंगा/ रहूंगी।

हस्ताक्षर
नाम व मुहर सहित

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड

बीज उत्पादन इकाई, आजादनगर, किच्छा

अतिरिक्त नियम व शर्तें

1. पार्टी का पैन नंबर होना आवश्यक है, तथा निविदा फार्म में पैन कार्ड की छायाप्रति अवश्य संलग्न की जाये।
2. पार्टी से अपेक्षा है, की वो अपनी निविदा में गेहूं बीज छानन (अंडरसाइज) का ही प्रति कुंतल दर प्रस्तावित करें, अर्थात गेहूं बीज छानन (अंडरसाइज) में प्रयुक्त कृभको के बोरे / वारदाने इसमें शामिल नहीं रहेंगे।
3. निविदा प्रक्रिया में H1 पार्टी को डिलीवरी से पूर्व समस्त संभार का पूर्ण भुगतान RTGS/NEFT/IMPS/DD से कार्यालय में जमा कराना होगा।
4. ₹.25,000.00 EMD जो कृभको देहरादून के ICICI बैंक के खाता सं० 159305000182 IFSC कोड ICIC0001593 में RTGS/NEFT/IMPS/DD के माध्यम से कार्यालय में जमा कराना होगा, EMD के आभाव में निविदाएँ मान्य नहीं होगी।
5. यदि किसी पार्टी की दी गयी दरें उच्चतम पायी जाती है, तो पार्टी को कार्यादेश जारी होने के दिन से एक सप्ताह की अवधि के अंदर समस्त गेहूं बीज छानन (अंडरसाइज) का भुगतान RTGS/NEFT/IMPS/DD के माध्यम से कृभको देहरादून के ICICI बैंक के खाता सं० 159305000182 में जमाकर सम्भार उठाना होगा, तथा कृभको को उक्त गेहूं छानन में प्रयुक्त कृभको के बोरे / वारदाने वापस करने होंगे। विशेष परिस्थितियों में पार्टी के अनुरोध पर अधोहस्ताक्षरी की सहमति के उपरान्त उठान अवधि विस्तारित की जा सकती है, परन्तु पार्टी को विस्तारित अवधि का गोदाम किराया जमा कराना होगा।
6. गेहूं बीज छानन (अंडरसाइज) की मात्रा को उठाने से पूर्व पार्टी द्वारा स्वयं मण्डी शुल्क का व्यय वहन करते हुए, मण्डी शुल्क स्थानीय मंडी में जमाकर रसीद की एक प्रति कृभको कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही सम्भार की डिलीवरी प्रदान की जाएगी।

राज्य विपणन प्रबन्धक
राज्य विपणन कार्यालय
कृभको देहरादून